प्रेस नोट दिनांक 23–08–2019

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर के माधवनगर क्षेत्र में 02 व्यक्तियो की गोली मारकर की गई हत्या में नामजद अभियुक्त बाल अपचारी को किया गिरफ्तारः–

अवगत कराना है कि दिनांक 18–08–2019 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के माधवनगर में 1–आशीष धीमान 2–आशुतोष धीमान निवासीगण ग्राम माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की उनके पडोसी महिपाल व उसके पुत्र सूरज सैनी, सन्नी सैनी व गौरव सैनी ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उक्त घटना में अभियुक्त महिपाल की पत्नी श्रीमती विमलेश सैनी व पुत्री बाल अपचारी भी शामिल थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक की माँ श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 प्रवीण निवासी ग्राम माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 285/2019 धारा 147/148/149/452/302/307/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया तथा क्राइम ब्रांच के अलावा 08 टीमो को गठित कर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 23–08–2019 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री विनीत भटनागर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री रजनीश कुमार उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस के अथक प्रयासो से उक्त घटना में नामजद 01 बाल अपचारी पुत्र महिपाल सैनी निवासी माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर उम्र करीब साढे 16 वर्ष को ग्राम कवाल थाना जानसठ जनपद मु0नगर उसके मामा के लडक प्रवीण पुत्र ऋषिपाल के घर से समय 19:30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रवीण के विरूद्व थाना को0नगर पर अभियुक्त को पनाह देने के जुर्म में मु0अ0सं0 295/19 धारा 216 भादवि पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पताः–

1–बाल अपचारी पुत्र महिपाल सैनी निवासी माधवनगर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर उम्र करीब साढे 16 वर्ष

2–प्रवीण सैनी पुत्र ऋषिपाल सैनी निवासी कवाल थाना जानसठ जनपद मु0नगर।

पूछताछ का विवरणः–

पूछताछ करने पर गिरफ्तार बाल अपचारी पुत्र महिपाल सैनी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 18–08–2019 को प्रातः नाले में गाय का गोबर बहाने को लेकर हमारे पडोसी 1–आशीष धीमान 2–आशुतोष धीमान से गाली गलौज व मारपीट हो गई थी। जिस पर मेरे पिता महिपाल व मेरे भाई सूरज सैनी, सन्नी सैनी ने मिलकर घर में घुसकर आशीष धीमान व आशुतोष धीमान को गोली मार दी और मैं व मेरी माता विमलेश देवी व बहन वर्षा भी अपने पिता व भाई के साथ डंडे लेकर आशुतोष व आशीष के घर मारपीट करने गये थे घटना के बाद हम वहां से भाग गये थे। आज मुझे कवाल से पकड लिया बाल अपचारी से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री बिरेश गिरि थाना प्रभारी कोतवाली नगर, सहारनपुर।

2–उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार कोतवाली नगर, सहारनपुर।

3–है0का0 467 इम्तयाज कोतवाली नगर, सहारनपुर।

4–का0 1641 पिन्टू सरोहा कोतवाली नगर, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 23–08–2019

थाना नानौता पुलिस की 02 बदमाशो से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में 15,000/–रुपये का ईनामी बदमाश घायल/गिरफ्तार, मौके से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस बरामदः–

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा ईनामियां अभियुक्तो के विरुद्व चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण श्री विद्यासागर मिश्र व क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री रामशरण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23–08–2019 को जंगल ग्राम कासीपुर में थाना नानौता पुलिस की 02 बदमाशो से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पार्टी ने बदमाशो द्वारा की गई फायरिंग का मुँहतोड़ जवाब दिया। पुलिस व बदमाशो के बीच हुई फायरिंग में 01 बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश शाहरुख पुत्र ताहिर निवासी मौ0 छत्ता थाना नानौता, सहारनपुर को मौके से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस सहित समय करीब 08:50 बजे रात्रि में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त को मौके से इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त थाना गागलहेड़ी पर **पंजीकृत मु0अ0सं0 421/2018 धारा 395/397/412 भादवि में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर 15,000/–रुपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा घायल/गिरफ्तार अभियुक्त थाना नागल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/2018 धारा 395/412 में भी वांछित चल रहा था।** घायल/गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्व जनपद सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी, नागल व नानौता में डकैती विद्युत अधिनियम आदि के तहत अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नानौता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–शाहरुख पुत्र ताहिर निवासी मौ0 छत्ता थाना नानौता, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर।

2–02 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–

1–मु0अ0सं0 421/2018 धारा 395/397/412 थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

2–मु0अ0सं0 370/2018 धारा 395/412 भादवि थाना नागल, सहारनपुर।

3–मु0अ0सं0 34/2019 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना नानौता, सहारनपुर।

नोटः–अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–

1–श्री प्रवीण कुमार थानाध्यक्ष नानौता, सहारनपुर।

2–व0उ0नि0 श्री मनोज राठी थाना नानौता, सहारनपुर।

3–उ0नि0 श्री कुंवरपाल थाना नानौता, सहारनपुर।

4–उ0नि0 श्री जय सिंह भाटी थाना नानौता, सहारनपुर।

5–है0का0 दानवीर थाना नानौता, सहारनपुर।

6–का0 मनोज कुमार थाना नानौता, सहारनपुर।

प्रेस नोट थाना नकुड

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22.08.19को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

1. अभियुक्त आलिम पुत्र यामीन निवासी ग्राम खेडी साल्हा थाना कांधला जिला शामली को गंगोह बाईपास रोड HRA पब्लिक स्कूल के पास से **8 पत्ते जिसमे 1 60 नशीली गोलिया** के साथ रात्रि मे समय 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया है जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 308/19 धारा 8/22NDPS ACT दिनांक 22.08.19 को हीपंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह चौहान

का0 218 पुनित कुमार

का0 804 शहजाद अली